न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/487

1. अलताफ हुसैन आत्मज श्री सरदार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी के0 पाटन हाल प्लाट नं0 80, शिवनगर, कोटा ।
2. शान्ति बाई पत्नी कालू लाल जाति मीणा निवासी ग्राम झीडा हाल निवासी दरा माता जी इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामहेत पुत्र हरमाल जाति मीणा निवासी ग्राम बेढकरवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. भूमि आवंटन समिति के0 पाटन जरिये अध्यक्ष सब डिवीजनल अधिकारी के0 पाटन ।
3. उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

दिनांकः 08.11.2017

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.092015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट रामहेत ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 का प्रस्तुत कर कथन किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति ने दिनांक 03.07.2002 को अप्रार्थी अलताफ हुसैन को ग्राम झीडा तहसील इन्द्रगढ की आराजी खसरा नम्बर 595 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि आवंटित करने का आदेश पारित किया । उक्त आवंटन निरस्तनीय है क्योंकि आवंटी ने अपना निवास का पता के0 पाटन का बताया है । आवंटी कभी भी ग्राम झीडा का निवासी नहीं रहा है और न ही उसके द्वारा उक्त भूमि पर कभी काश्त की गई है । आवंटी ने उक्त भूमि को दिनांक 27.01.2014 को अप्रार्थी कम 2 को बेचान कर दिया जबकि उक्त भूमि आवंटी के गैर खातेदारी की भूमि थी जिसे बेचान का अधिकार नहीं था । इस प्रकार आवंटी

द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.09.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.07.2002 को निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.09.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट आवंटन के समय ग्राम झीडा में मेहनत मजदूरी करता था तथा भूमिहीन काश्तकार था तथा अपीलान्ट द्वारा नियमानुसार उक्त आराजी का आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी का नाम स्पष्ट रूप से अलताफ हुसैन दर्ज किया हुआ है तथा उसी नाम से अपीलान्ट को भूमि आवंटित की गई है । अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार था उसके पास वक्त आवंटन आराजी कोई भूमि नहीं थी आवंटन के बाद से ही अपीलान्ट ने आवंटन नियमों की पालना करते हुए भूमि को काश्त किया है । अपीलान्ट को नियमानुसार गैर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये थे । अपीलान्ट को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान होने के बाद अपीलान्ट द्वारा नियमानुसार उक्त आराजी का अपीलान्ट क्रम 2 को बेचान किया गया है और वर्तमान में वह उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

7. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटी ग्राम झीडा का निवासी नहीं है । अपीलान्ट आवंटी ने आवंटन प्रार्थना पत्र में अपने आपको के0 पाटन का निवासी होना बताया है जबकि के0 पाटन ग्राम झीडा से 70 मिलोमीटर दूर है । आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की मद नं0 04 में स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थी मण्डल से बाहर का है और मद नं0 07 में रिपोर्ट अंकित है कि आराजी खसरा नम्बर 595 में बूढकरवर का रास्ता निकलता है इसके बावजूद भी उक्त भूमि का अवंटन किया गया था जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया गया है । आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गई है । आवंटी का नाम अहताफ हुसैन गैर खातेदार के रूप में कई वर्षों तक अंकित चलता रहा इसका भी उसको शुद्धिपत्र दिनांक 16.01.2014 से अहताफ हुसैन के स्थान पर अलताफ हुसैन शुद्ध करवाया गया। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया था जिसे

अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 03.07.2002 को निरस्त कर दिया ।

9. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत किया था जिस पर पक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात् न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 08.08.2017 को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का स्वीकार कर प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया है । अब उक्त दस्तावेज जो रिकॉर्ड पर आ चुके हैं उनकी सत्यता की जॉच विचारण न्यायालय में साक्ष्य एवं दस्तावेज से होनी है । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय हाजा में प्रस्तुत दस्तावेज पर पक्षकारान की बहस आदि सुनकर पक्षकारान को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा